कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

परिपत्र

क्रमांक– क्यू/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 05.04.2020

जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) का संक्रमण न सिर्फ विदेशों में है, बल्कि हमारे देश भारत में भी तेजी से बढ़कर वर्तमान में संपूर्ण विश्व इस महामारी से ग्रसित होकर मानवजीवन के लिए कठोर चुनौती बना है, जिससे गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र दिनांक 04.04.2020 के अनुक्रम में ऐसी परिस्थिति में मानवता के लिए उदारतापूर्वक दान देकर उसमें सहयोग करना हमारा कर्त्तव्य है और हम Prime Minister Citizen's Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PMCARES) में निम्नानुसार योगदान देकर सहायता कर सकते हैं–

1– जिला जज एवं समस्त अपर जिला जज– **रु 15,000/–** प्रत्येक
2– सी.जे.एम. एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश– **रु 10,000/–** प्रत्येक
3– समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण– **रु 5,000/–** प्रत्येक

यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त योगदान स्वेच्छिक है, जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ जो न्यायिक अधिकारीगण एवं शासकीय सेवकगण उक्त योगदान नहीं करना चाहते हैं, वे दिनांक 15.04.2020 तक प्रशासनिक अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को मोबाईल नंबर 9424673066, श्री सुनील गूजरवार लेखापाल को मोबाईल नंबर 9009709647 पर तथा कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद से संबद्ध न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपप्रशासनिक अधिकारी श्री भोजराज दुबे मोबाईल नंबर 9098823275, लेखापाल श्रीमती राखी शर्मा को मोबाईल नंबर 9981735064 पर एस.एम.एस./व्हाट्सअप के माध्यम से नाम, पदनाम व एम्पलाईज कोड सहित अवगत कर सूचित कर सकते हैं अन्यथा यह माना जाएगा कि माह अप्रैल पेड मई 2020 के वेतन देयक में उपरोक्त मानक से कटौती हेतु आप सहमत हैं। असहमतिकर्ता अधिकारी/कर्मचारीगण के नाम, पद एवं एम्पलाई कोड की जानकारी उक्त परिपत्र के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय की ओर प्रेषित की जाएगी।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन अधिकारीगण/कर्मचारीगण ने स्वमेव प्रधानमंत्री सहायता कोष में अंशदान किया हो तो उसका दस्तावेजी प्रमाण, साथ ही शेष राशि यदि कोई हो, की कटौती के संबंध में अपनी सहमति उपरोक्त कर्मचारियों को व्हाट्सअप पर दिनांक 15.04.2020 तक सूचित करें।

योगदान की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत् छूट दी गई है।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृ.क्र.– 449 /दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 05.04.2020

1. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं समस्त अनुभागों के प्रभारी अधिकारीगण होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।
3. प्रशासनिक अधिकारी/उपप्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/वेतन देयक लिपिक जिला न्यायालय स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
4. सिसस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर परिपत्र न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण को ई–मेल से प्रेषित किये जाने बावत्।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)